

बिहार सरकार  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 50

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,  
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गोपालगंज,  
जहानाबाद, जमुई, नवादा, नालंदा, प० चम्पारण, पू० चम्पारण, बक्सर, बाँका,  
बेगुसराय, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, लखीसराय, वैशाली,  
शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल।

पटना, दिनांक- 10/9/26

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 17,42,00,000/- (रु० सत्रह करोड़ बयालीस लाख) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 17,42,00,000/- (रु० सत्रह करोड़ बयालीस लाख) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष-01. 01-वेतन, 01.03-जीवन यापन भत्ता, 01.04-मकान किराया भत्ता, 01.06-चिकित्सा भत्ता, 11.01-यात्रा व्यय, 13.04-विद्युत प्रभार, 21.01-सामग्री एवं पूर्तियां विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-गैर वेतनादि मद यथा 11.01-यात्रा व्यय, 13.01-कार्यालय व्यय, 13.04-विद्युत प्रभार तथा 21.01-सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटित राशि का व्यय केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृत कार्य हेतु किया जाएगा।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-292, दिनांक-11.02.2021 में निहित निदेश का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

6- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7- प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)  
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 50 पटना, दिनांक- 10/4/26  
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग  
कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

(4) संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक,  
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण  
पदाधिकारी/संबंधित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/विभागीय बजट शाखा को (CFMS  
प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार  
पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग  
परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटित राशि का विवरण:-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	0101 वेतन	0103 जीवन यापन भता	0104 मकान किराया भता	0106 शिक्षिता भता	योग	1101 यात्रा व्यय	1301 कार्यालय व्यय	1304 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं सुविधा	योग	कुल योग
1	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय अररिया	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अररिया	1740000.00	1010000.00	80000.00	54000.00	2884000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	6037000.00
2	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय अरवल	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी अरवल	2700000.00	1560000.00	130000.00	84000.00	4474000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	7627000.00
3	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय औरंगाबाद	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी औरंगाबाद	1740000.00	1010000.00	80000.00	54000.00	2884000.00	3000.00	25000.00	300000.00	2760000.00	3088000.00	5972000.00
4	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय कटिहार	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी कटिहार	2760000.00	1600000.00	130000.00	84000.00	4574000.00	3000.00	20000.00		2760000.00	2783000.00	7357000.00
5	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय किशनगंज	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी किशनगंज	1740000.00	1010000.00	80000.00	54000.00	2884000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	6037000.00
6	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय कैमूर	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी कैमूर	2700000.00	1560000.00	130000.00	84000.00	4474000.00	3000.00	25000.00	300000.00	2760000.00	3088000.00	7562000.00
7	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खगडिया	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी खगडिया	1740000.00	1000000.00	80000.00	54000.00	2874000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	6027000.00
8	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय गोपालगंज	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज	2880000.00	1670000.00	140000.00	90000.00	4780000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	7933000.00
9	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी जहानाबाद	2520000.00	1460000.00	120000.00	78000.00	4178000.00	3000.00	25000.00	300000.00	2760000.00	3088000.00	7266000.00
10	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय जमुई	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी जमुई	1860000.00	1080000.00	90000.00	60000.00	3090000.00	3000.00	20000.00		2760000.00	2783000.00	5873000.00
11	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय नवादा	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी नवादा	1740000.00	1000000.00	80000.00	54000.00	2874000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	6027000.00
12	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय नालंदा	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी नालंदा	1860000.00	1070000.00	90000.00	60000.00	3080000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	6233000.00
13	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय प० चम्पारण	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी प० चम्पारण	900000.00	520000.00	40000.00	30000.00	1490000.00	3000.00	25000.00		2760000.00	2788000.00	4278000.00
14	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय पूर्वी चम्पारण	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण	2100000.00	1220000.00	100000.00	66000.00	3485000.00	3000.00	25000.00		2760000.00	2788000.00	6274000.00
15	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बक्सर	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी बक्सर	1500000.00	870000.00	70000.00	48000.00	2488000.00	3000.00	90000.00	300000.00	2760000.00	3153000.00	5641000.00
16	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बाँका	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी बाँका	1500000.00	870000.00	70000.00	48000.00	2488000.00	3000.00	90000.00		2760000.00	2853000.00	5341000.00
17	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बेगूसराय	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी बेगूसराय	2700000.00	1560000.00	130000.00	84000.00	4474000.00	3000.00	25000.00	300000.00	2760000.00	3088000.00	7562000.00
18	अन्य पिछडा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय मोजपुर	जिला पिछडा एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण पदाधिकारी मोजपुर	3120000.00	1810000.00	150000.00	96000.00	5176000.00	3000.00	20000.00		2760000.00	2783000.00	7959000.00

क्र.सं.	विवरण का नाम	निकामी एवं धारण पदाधिकारी	0101 वेतन	0103 जीका धारण भत्ता	0104 नकल किराया भत्ता	0106 निवेदन भत्ता	योग	1101 यात्रा खर्च	1301 कार्यलय खर्च	1304 विद्युत धारण	2101 सामग्री एवं पूर्ति	योग	कुल योग
19	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी मधुपुरी	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी मधुपुरी	3540000.00	2050000.00	170000.00	108000.00	5868000.00	3000.00	20000.00	3000000.00	2760000.00	2783000.00	8651000.00
20	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी मधुपुरी	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी मधुपुरी	1320000.00	760000.00	60000.00	42000.00	2182000.00	3000.00	90000.00	3000000.00	2760000.00	3153000.00	5335000.00
21	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी लखीसराय	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी लखीसराय	1320000.00	760000.00	60000.00	42000.00	2182000.00	3000.00	20000.00	3000000.00	2760000.00	2783000.00	4965000.00
22	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी देशगली	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी देशगली	3720000.00	2150000.00	180000.00	114000.00	6164000.00	3000.00	20000.00	3000000.00	2760000.00	2783000.00	8947000.00
23	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी शिवहर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी शिवहर	1140000.00	660000.00	50000.00	36000.00	1886000.00	3000.00	20000.00	3000000.00	2760000.00	2783000.00	4669000.00
24	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी शंखपुरा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी शंखपुरा	1500000.00	870000.00	70000.00	48000.00	2488000.00	3000.00	25000.00	3000000.00	2760000.00	3088000.00	5576000.00
25	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी शिवहर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी शिवहर	1500000.00	870000.00	70000.00	48000.00	2488000.00	3000.00	20000.00	3000000.00	2760000.00	2783000.00	5271000.00
26	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी सीवान	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सीवान	3000000.00	1740000.00	150000.00	96000.00	4986000.00	3000.00	90000.00	3000000.00	2760000.00	3153000.00	8139000.00
27	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी सुपौल	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सुपौल	1500000.00	870000.00	70000.00	48000.00	2488000.00	3000.00	90000.00	3000000.00	2760000.00	3153000.00	5641000.00
	योग		56340000.00	32610000.00	2670000.00	1764000.00	93384000.00	81000.00	1415000.00	4800000.00	74520000.00	80816000.00	174200000.00

पत्रांक-50 दिनांक-10/4/26 का अनुदानक

कुल राशि (रु० सहस्र करोड़ बराबरीस लाख) मात्र

सरकार के अधिकारी